क्रमांक 959-ज(I)-83/29205.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री चन्दगी राम, पुत्र श्री नत्थन राम, गांव जौरासी, तहसील नूह, जिला गुड़गांवां, को खरीफ़, 1965 से रबी, 1970 तक 100 रुपए वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

टी० आर० तुली,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,

राजस्व विभाग।

IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT

Order

The 28th September, 1983

No. 8230/198-W/2.—Whereas the land described in the Haryana Government Notification No 5882/198-W/2, dated 8th Jully, 1983, issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, has been declared to be needed at the expense of the Irrigation Department, Haryana, for a public purpose, namely, for the extension of Haripura Sub Minor from RD 11000 to 13100 in Village Sangan of Tehsil Narwana, District Jind.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acqdisition Act, 1894, the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Officer, Irrigation Branch, Ambala to take order for the acquisition of the land described in the specification appended to the declaration published with the aforesaid notification.

No. 8239/154-W/3.—Whereas the land described in the Haryana Government Notification No. 11023-28/154-W/3, dated 21st July,1982, issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, has been declared to be needed at the expense of the Irrigation Department, Haryana, for a public purpose, namely, for the "the Extension of Kachhana! Minor from RD 19,527 to 28.280 in Village Gulyan , Tehsil Kaithal, District Kurukshetra".

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act,1894, the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Officer, Irrigation Branch, Ambala to take order for acquisition of land described in the specifications appended to the declaration published with the aforesaid Notification.

By order of Governor of Haryana.

A. R. SETHI,

Superintending Engineer,
Bhakra Canal Circle, Kaithal.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 26 सितम्बर, 1983

सं० ओ०वी०/फरीदाबाद/123-83/51665.—चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राए है कि मैसर्ज कुमार स्टोन क्रेशर नगला गुजरा सोहाना रोड, बल्लबगढ़ के श्रमिक श्री किशन पाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है:

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बधित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं;

क्या श्री किशन दास की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?